

SSW/धारा 105/23

अपर कलक्टर, नागौर

17.11.25

पंजावली प्रोपर्टी के विक्रेता पर 31.12.23 को
 पंजावली प्रोपर्टी के धारका प्रस्तुत कर धारकी
 कंपनी व अडार्की सं। के कदम राजीनामा हो
 जाने से प्रकरण को जारिद निदान विचारण
 करवाने का विक्रेता किया। पंजावली का
 अवलोकन किया गया। प्रकरण जारिद निदान
 स्वारिज किया जा रहा है। पंजावली के सल
 सुधार हो नंबर से कदम होकर वापिस
 देया हो

अपर कलक्टर, नागौर